<u>न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, एफ०टी०सी०–प्रथम, बहराइच।</u>

जमानत प्रार्थना–पत्र संख्या–1165/2026

UPBH010033422026

1– राम भजन मिश्रा, उम्र 60 वर्ष, पुत्र राधेश्याम मिश्रा, एवं
2– गीता देवी, उम्र 60 वर्ष, पत्नी राम भजन मिश्रा।
–––निवासीगण सेमरिया, थाना खैरीघाट, जनपद बहराइच।

–––––प्रार्थीगण/अभियुक्तगण।

प्रति

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा डी०जी०सी० (क्रिमिनल) बहराइच।

––––विपक्षी/अभियोगी।

अपराध संख्या–52/2026
धारा–85,80(2),352,351(3) बी०एन०एस० व
3/4 डी०पी०ऐक्ट
थाना–खैरीघाट, जनपद बहराइच।

<u>जमानत आदेश</u>

यह जमानत प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण/अभियुक्तगण उपरोक्त की ओर से उक्त मामले में प्रस्तुत किया गया है एवं कथन किया गया है कि इस न्यायालय में उनका यह प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र है एवं किसी अन्य न्यायालय पर विचाराधीन नहीं है एवं न ही निरस्त किया गया है।

प्रार्थीगण/अभियुक्तगण द्वारा अपने जमानत प्रार्थनापत्र में यह कथन भी किया गया है कि उन्होंने कोई अपराध कारित नहीं किया है। वादी मुकदमा के द्वारा लगाये गये आरोप झूठे हैं। वादी मुकदमा ने अपनी पुत्री ज्योति की शादी प्रार्थीगण के पुत्र सर्वेश के साथ वर्ष 2020 में किया था। शादी के बाद प्रार्थीगण के बहू व बेटे को एक पुत्री का जन्म हुआ है। पिछले वर्ष दिनांक 06.03.2025 को हार्ट अटैक से प्रार्थीगण की बहू/वादी मुकदमा की पुत्री का निधन हो गया था। अंतिम संस्कार करने के पश्चात वादी मुकदमा तथा उनके घर के लोगों द्वारा शादी के समय दिये गये सामान व रूपयों को वापस मांगा गया, जिस पर सुलहनामा वादी के पक्ष द्वारा प्रार्थीगण के पुत्रगण द्वारा दिनांक 08.03.2025 को दिया गया तथा उसके अनुरूप समस्त सामान वापस कर दिये गये तथा तीन–तीन लाख रूपये के दो चेक भी वादी को दिये गये, जिसमें से एक चेक वादी ने अपने खाते में ले लिया है। वादी द्वारा किया गया कथन कि वह अंतिम संस्कार के मौके पर उपलब्ध नहीं था, गलत है। प्रथमसूचना रिपोर्ट काफी विलम्ब से मात्र धन उगाही करने के लिये लिखायी गयी है। अतः प्रार्थना है कि प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को जमानत पर रिहा किया जावे।

राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा जमानत का विरोध किया गया और कहा गया कि अभियुक्तगण द्वारा कारित अपराध गम्भीर प्रकृति का है। अतः उनकी जमानत निरस्त की जाये।

प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) के तर्कों को सुना व पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन किया।

अभियोजन कथानक के अनुसार वादी मुकदमा द्वारा जरिये प्रार्थनापत्र 156(3) दं०प्र०सं० में पारित आदेश, थाना खैरीघाट में इस आशय की प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है कि वादी की लड़की ज्योति की शादी वर्ष 2020 में हिन्दू रीति रिवाज के अनुसार विपक्षीगण के पुत्र सर्वेश के साथ हुई थी, जिसमें उसने काफी दान दहेज दिया था। विपक्षीगण उक्त दान दहेज से संतुष्ट नहीं थे एवं दो लाख रूपये तथा एक सोने की चैन की मांग अतिरिक्त दहेज के रूप में करते थे तथा दिनांक 06.03.2025 को प्रार्थी की पुत्री को उसके ससुराल वालों ने काफी मारा पीटा, जिससे उसे गंभीर चोटें आयी, जिससे उसकी मृत्यु हो गयी।

अभियोजन द्वारा प्रस्तुत केस डायरी के अवलोकन से विदित होता है कि प्रार्थीगण/अभियुक्तगण मृतका के सास–ससुर हैं। केस डायरी में उल्लेखित बयान वादी धारा 180 बी०एन०एस०एस० में उसके द्वारा यह कथन किया गया है कि अतिरिक्त दहेज की मांग में दिनांक 06.03.2025 की शाम उसकी लड़की के ससुराल वालों ने उसे काफी मारा पीटा, जिससे उसकी मौत हो गयी, जिसकी जानकारी 12 बजे रात वादी को हुई एवं जब वह विपक्षीगण के घर पहुंचा तो उसे मृतका की मृत्यु हार्ट अटैक से आना बताया गया तथा बिना पंचनामा व पोस्टमार्टम के आनन–फानन में उसका अंतिम संस्कार अगले दिन गांव के पास स्थित नाले के पास कर दिया गया।

अभियुक्तगण के ग्रामवासी का बयान भी विवेचक द्वारा संकलित किया गया, जिसके अवलोकन से विदित होता है कि ग्रामवासी निर्मल शुक्ला, राम प्रवेश शुक्ला द्वारा यह कथन किया गया है कि सर्वेश की पत्नी ज्योति की तबियत शाम को खराब हुई थी एवं उनके परिवार के लोग इलाज के लिये नानपारा ले जा रहे थे कि रास्ते में उनकी मृत्यु हो गयी एवं उन सभी के यह बताया गया कि हार्ट अटैक से उसकी मृत्यु हो गयी है। मृतका का पंचायतनामा व पोस्टमार्टम नहीं हुआ है। चूंकि वादी मुकदमा द्वारा प्रार्थनापत्र 156(3) दं०प्र०सं० में उल्लेखित कथनों के अनुरूप विवेचक को दौरान विवेचना बयान देते हुए उल्लेखित किया है कि विपक्षीगण उसकी लड़की से अतिरिक्त दहेज की मांग करते थे। अतः अभियुक्तगण पर आरोपित अपराध गंभीर प्रकृति का है एवं उपरोक्त सम्पूर्ण तर्कों, परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, गुणदोष पर बिना कोई अभिमत व्यक्त किये हुए, अभियुक्तगण की जमानत निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थीगण/अभियुक्तगण द्वारा मुकदमा अपराध संख्या–52/2026, अंतर्गत धारा–80(2),85,352,351(3) बी०एन०एस० व 3/4 डी०पी० ऐक्ट, थाना खैरीघाट,

जनपद बहराइच के प्रकरण में प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–1165/2026, निरस्त किया जाता है।

दिनांकः 11.06.2026

प्रभारी अपर सत्र न्यायाधीश
एफ०टी०सी०–I, बहराइच।